

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 30  
आर्थिक कार्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
<b>कुल</b>	6216.55	5917.16	12133.71	6909.09	8227.45	15136.54	13347.55	15069.58	28417.13	10164.53	77769.73	87934.26	
<b>वसूलियां</b>	-0.10	-4239.45	-4239.55	...	-2518.00	-2518.00	...	-2426.10	-2426.10	...	-2568.00	-2568.00	
<b>प्राप्तियां</b>	-505.71	-111.50	-617.21	-587.47	-1150.02	-1737.49	-691.61	-7072.16	-7763.77	-639.89	-1150.01	-1789.90	
<b>निवल</b>	<b>5710.74</b>	<b>1566.21</b>	<b>7276.95</b>	<b>6321.62</b>	<b>4559.43</b>	<b>10881.05</b>	<b>12655.94</b>	<b>5571.32</b>	<b>18227.26</b>	<b>9524.64</b>	<b>74051.72</b>	<b>83576.36</b>	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
<b>केंद्र का व्यय</b>													
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>													
1. सचिवालय													
1.01	आर्थिक कार्य विभाग	179.80	...	179.80	232.77	13.72	246.49	272.60	16.13	288.73	233.06	15.48	248.54
2. संबद्ध कार्यालय													
2.01	दूतावास, वॉशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो आदि के आर्थिक विंग	19.63	...	19.63	19.42	...	19.42	22.38	...	22.38	19.70	...	19.70
2.02	वायदा बाजार आयोग	0.12	...	0.12	0.20	...	0.20	0.22	...	0.22	0.24	...	0.24
2.03	सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण	12.71	...	12.71	18.68	0.54	19.22	18.42	0.25	18.67	16.87	1.00	17.87
2.04	सोलहवां वित्त आयोग	...	...	...	9.00	1.00	10.00	9.00	1.00	10.00	24.95	1.00	25.95
जोड़- संबद्ध कार्यालय													
		32.46	...	32.46	47.30	1.54	48.84	50.02	1.25	51.27	61.76	2.00	63.76
3. वास्तविक वसूली													
		-0.10	...	-0.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>													
		<b>212.16</b>	...	<b>212.16</b>	<b>280.07</b>	<b>15.26</b>	<b>295.33</b>	<b>322.62</b>	<b>17.38</b>	<b>340.00</b>	<b>294.82</b>	<b>17.48</b>	<b>312.30</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>													
4. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ)													
4.01	सकल बजटीय सहायता	1.24	1681.34	1682.58	2.00	1998.00	2000.00	1.03	2598.97	2600.00	1.05	1500.00	1501.05
5. व्यवहार्यता अंतर निधियन													
		...	9.41	9.41	500.00	...	500.00	720.00	6.00	726.00	490.00	10.00	500.00
<b>ब्याज समकरण सहायता</b>													
6.	भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण प्रणाली	1459.44	...	1459.44	1300.00	...	1300.00	2350.00	...	2350.00	3849.00	...	3849.00
7.	भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि	...	...	...	25.00	...	25.00	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>													
		<b>1460.68</b>	<b>1690.75</b>	<b>3151.43</b>	<b>1827.00</b>	<b>1998.00</b>	<b>3825.00</b>	<b>3086.03</b>	<b>2604.97</b>	<b>5691.00</b>	<b>4365.05</b>	<b>1510.00</b>	<b>5875.05</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
<b>अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान</b>												
8. आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान	0.28	...	0.28	0.28	...	0.28	0.29	...	0.29	0.29	...	0.29
9. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	130.52	...	130.52	139.20	...	139.20	130.50	...	130.50	139.20	...	139.20
10. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:	88.62	...	88.62	118.96	...	118.96	101.48	...	101.48	126.48	...	126.48
11. एएफडीएफ के एमडीआरआई के प्रति अंशदान												
11.01 सकल बजटीय सहायता	5.71	...	5.71	4.80	...	4.80	4.80	...	4.80	4.84	...	4.84
11.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-5.71	...	-5.71	-4.80	...	-4.80	-4.80	...	-4.80	-4.84	...	-4.84
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. आईडीए को अंशदान												
12.01 सकल बजटीय सहायता	500.00	...	500.00	582.67	...	582.67	582.67	...	582.67	582.67	...	582.67
12.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-500.00	...	-500.00	-582.67	...	-582.67	-582.67	...	-582.67	-582.67	...	-582.67
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. अफ्रीका डिजिटल वित्तीय समावेशन सुविधा में अंशदान (एडीएफआई)	...	...	...	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	...	...	...
14. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान)	73.18	...	73.18	72.31	...	72.31	78.15	...	78.15	81.31	...	81.31
15. एशियाई विकास निधि में अंशदान-13												
15.01 सकल बजटीय सहायता	89.15	...	89.15	89.15	...	89.15	89.15	...	89.15	89.15	...	89.15
16. एएफडीएफ के लिए अंशदान												
16.01 सकल बजटीय सहायता	...	...	...	52.11	...	52.11	104.14	...	104.14	52.38	...	52.38
16.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-104.14	...	-104.14	-52.38	...	-52.38
<i>निवल</i>	...	...	...	52.11	...	52.11	...	...	...	...	...	...
17. एसएआरटीटीएसी को अंशदान	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00	112.50	...	112.50
18. एसईईटीएफ के लिए अंशदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19. क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) को योगदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
20. महामारी रोकथाम, तैयारी और रिस्पांस के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि)	82.23	...	82.23	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान</b>	<b>463.98</b>	<b>...</b>	<b>463.98</b>	<b>489.04</b>	<b>...</b>	<b>489.04</b>	<b>516.60</b>	<b>...</b>	<b>516.60</b>	<b>548.96</b>	<b>...</b>	<b>548.96</b>
21. उधार के लिए नई व्यवस्था												
21.01 सकल बजट	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
21.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22. मुद्रा, सिक्का और टकसाल												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
22.01	एसपीएमसीआईएल से सिद्धों की खरीद	...	1107.30	1107.30	...	1518.00	1518.00	...	1038.00	1038.00	...	1038.00	1038.00
22.02	कम वसूलियां घटाएं	...	-721.43	-721.43	...	-1518.00	-1518.00	...	-1038.00	-1038.00	...	-1038.00	-1038.00
	<i>निवल</i>	...	<i>385.87</i>	<i>385.87</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>23.</b>	<b>आरक्षित निधि</b>												
23.01	गारंटी मोचन निधि	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	...	...	...	...	...	...
23.02	गोल्ड आरक्षित फंड	2424.85	...	2424.85	2455.85	...	2455.85	3500.00	...	3500.00	4000.00	...	4000.00
23.04	वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि	...	...	...	...	...	...	5000.00	...	5000.00	...	...	...
	<i>जोड़- आरक्षित निधि</i>	<i>3424.85</i>	...	<i>3424.85</i>	<i>3455.85</i>	...	<i>3455.85</i>	<i>8500.00</i>	...	<i>8500.00</i>	<i>4000.00</i>	...	<i>4000.00</i>
<b>24.</b>	<b>अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग</b>												
24.01	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक हेतु व्यय (एडीबी / एएफडीबी / सार्क / एसडीएफ / त्रिक्स - नए विकास बैंक/एआईआईबी / एससीओ ) और जीआईजेड के लिए सेवा कर)	19.69	...	19.69	20.04	...	20.04	20.03	...	20.03	24.03	...	24.03
<b>25.</b>	<b>अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश</b>												
25.01	आईएफआई में निवेश	...	762.91	762.91	...	1384.11	1384.11	...	7320.15	7320.15	...	1406.51	1406.51
25.02	घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि (एडीबी / एफ, एएफडीबी / एफ, आईएमएफ)	...	...	...	...	-1000.01	-1000.01	...	-6922.15	-6922.15	...	-1000.00	-1000.00
25.03	घटाइए- वसूलियां घटाएं	...	-3364.25	-3364.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<i>निवल</i>	...	<i>-2601.34</i>	<i>-2601.34</i>	...	<i>384.10</i>	<i>384.10</i>	...	<i>398.00</i>	<i>398.00</i>	...	<i>406.51</i>	<i>406.51</i>
<b>26.</b>	<b>अन्य व्यय</b>												
26.01	कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर व्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा हुई लावारिस प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान।	0.03	...	0.03	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
26.02	संरक्षित बचत योजनाएं	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
26.03	अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय	88.18	...	88.18	204.73	...	204.73	92.59	...	92.59	178.71	...	178.71
26.04	नई योजनाएं	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	70448.63	70448.63
26.05	गोल्ड मुद्रीकरण योजना 2015 के लिए कमीशन	24.78	...	24.78	25.00	...	25.00	40.50	...	40.50	46.00	...	46.00
	<i>जोड़- अन्य व्यय</i>	<i>113.02</i>	...	<i>113.02</i>	<i>229.80</i>	<i>0.01</i>	<i>229.81</i>	<i>133.16</i>	<i>0.01</i>	<i>133.17</i>	<i>224.78</i>	<i>70448.63</i>	<i>70673.41</i>
27.	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण	9.25	...	9.25	10.00	...	10.00	10.50	...	10.50	10.00	...	10.00
<b>28.</b>	<b>सरकारी कर्मचारी को ऋण</b>												
28.01	गृह निर्माण अग्रिम	...	108.71	108.71	...	175.00	175.00	...	165.00	165.00	...	165.00	165.00
28.02	मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	...	...	...	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24
28.03	कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	...	51.04	51.04	...	49.76	49.76	...	59.76	59.76	...	59.76	59.76
28.04	घटाएं प्राप्ति	...	-111.50	-111.50	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00
	<i>निवल</i>	...	<i>48.25</i>	<i>48.25</i>	...	<i>75.00</i>	<i>75.00</i>	...	<i>75.00</i>	<i>75.00</i>	...	<i>75.00</i>	<i>75.00</i>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
29. लघु बचत योजनाएं	7.11	...	7.11	9.82	0.05	9.87	7.00	0.04	7.04	7.00	0.04	7.04
30. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
31. स्वर्ण मुद्राकरण योजना												
31.01 स्वर्ण जमा	...	1089.21	1089.21	...	1000.00	1000.00	...	1388.10	1388.10	...	1530.00	1530.00
31.02 कम वसूलियां घटाएं	...	-153.77	-153.77	...	-1000.00	-1000.00	...	-1388.10	-1388.10	...	-1530.00	-1530.00
<i>निवल</i>	...	935.44	935.44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीवी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती	...	31.94	31.94	...	30.97	30.97	...	35.95	35.95	...	35.95	35.95
33. रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल)	...	55.30	55.30	...	56.03	56.03	...	58.10	58.10	...	58.10	58.10
34. मध्यम आय समूह के लिए किरायायती आवासन	...	1020.00	1020.00	...	1000.00	1000.00	...	1881.86	1881.86	...	1000.00	1000.00
35. एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00
36. कारपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना	...	...	...	...	...	...	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>4037.90</b>	<b>-124.54</b>	<b>3913.36</b>	<b>4214.55</b>	<b>2546.17</b>	<b>6760.72</b>	<b>9247.29</b>	<b>2948.97</b>	<b>12196.26</b>	<b>4864.77</b>	<b>72524.24</b>	<b>77389.01</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>4037.90</b>	<b>-124.54</b>	<b>3913.36</b>	<b>4214.55</b>	<b>2546.17</b>	<b>6760.72</b>	<b>9247.29</b>	<b>2948.97</b>	<b>12196.26</b>	<b>4864.77</b>	<b>72524.24</b>	<b>77389.01</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>5710.74</b>	<b>1566.21</b>	<b>7276.95</b>	<b>6321.62</b>	<b>4559.43</b>	<b>10881.05</b>	<b>12655.94</b>	<b>5571.32</b>	<b>18227.26</b>	<b>9524.64</b>	<b>74051.72</b>	<b>83576.36</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य राजकोपीय सेवाएं	7.39	...	7.39	10.10	...	10.10	7.29	...	7.29	7.29	...	7.29
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	179.71	...	179.71	232.77	...	232.77	272.60	...	272.60	233.06	...	233.06
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	12.71	...	12.71	27.68	...	27.68	27.42	...	27.42	41.82	...	41.82
4. विविध सामान्य सेवाएं	1000.03	...	1000.03	1000.04	...	1000.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
5. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	...	1321.31	1321.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. अन्य राजकोपीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	15.26	15.26	...	17.38	17.38	...	17.48	17.48
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>1199.84</b>	<b>1321.31</b>	<b>2521.15</b>	<b>1270.59</b>	<b>15.31</b>	<b>1285.90</b>	<b>307.35</b>	<b>17.42</b>	<b>324.77</b>	<b>282.21</b>	<b>17.52</b>	<b>299.73</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
9. अन्य सामाजिक सेवाएं	...	...	...	...	...	...	5000.00	...	5000.00	...	...	...
10. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>0.03</b>	<b>...</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.01</b>	<b>0.04</b>	<b>5000.03</b>	<b>0.01</b>	<b>5000.04</b>	<b>0.03</b>	<b>0.01</b>	<b>0.04</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
11. कृषि वित्तीय संस्थान	130.52	...	130.52	139.20	...	139.20	130.50	...	130.50	139.20	...	139.20
12. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	1.24	...	1.24	2.00	...	2.00	61.03	...	61.03	51.05	...	51.05

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	171.38	...	171.38	158.29	...	158.29	206.18	...	206.18	201.68	...	201.68
14. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2655.42	...	2655.42	3359.16	...	3359.16	4502.67	...	4502.67	4896.13	...	4896.13
15. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	2701.34	2701.34	...	3998.00	3998.00	...	4980.83	4980.83	...	3000.00	3000.00
16. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	...	-2601.34	-2601.34	...	384.10	384.10	...	398.00	398.00	...	406.51	406.51
17. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	9.41	9.41	...	0.01	0.01	...	6.01	6.01	...	70458.63	70458.63
18. कृषि वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण	...	55.30	55.30	...	56.03	56.03	...	58.10	58.10	...	58.10	58.10
19. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	...	31.94	31.94	...	30.97	30.97	...	35.95	35.95	...	35.95	35.95
20. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2958.56</b>	<b>196.65</b>	<b>3155.21</b>	<b>3658.65</b>	<b>4469.11</b>	<b>8127.76</b>	<b>4900.38</b>	<b>5478.89</b>	<b>10379.27</b>	<b>5288.06</b>	<b>73959.19</b>	<b>79247.25</b>
<b>अन्य</b>												
21. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	1552.31	...	1552.31	1392.35	...	1392.35	2448.18	...	2448.18	3954.34	...	3954.34
22. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	48.25	48.25	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1552.31</b>	<b>48.25</b>	<b>1600.56</b>	<b>1392.35</b>	<b>75.00</b>	<b>1467.35</b>	<b>2448.18</b>	<b>75.00</b>	<b>2523.18</b>	<b>3954.34</b>	<b>75.00</b>	<b>4029.34</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>5710.74</b>	<b>1566.21</b>	<b>7276.95</b>	<b>6321.62</b>	<b>4559.43</b>	<b>10881.05</b>	<b>12655.94</b>	<b>5571.32</b>	<b>18227.26</b>	<b>9524.64</b>	<b>74051.72</b>	<b>83576.36</b>

(₹ करोड़)

	बजट 2024-2025			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि0	1681.34	...	1681.34	1998.00	...	1998.00	3098.97	...	3098.97	2000.00	...	2000.00
2. एडीबी और केएफडब्ल्यू को अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा लि0 द्वारा ऋण की अदायगी	31.94	...	31.94	30.97	...	30.97	35.95	...	35.95	35.95	...	35.95
3. एसडब्ल्यूएमआईएच	1020.00	...	1020.00	...	...	...	1881.86	...	1881.86	1000.00	...	1000.00
<b>जोड़</b>	<b>2733.28</b>	<b>...</b>	<b>2733.28</b>	<b>2028.97</b>	<b>...</b>	<b>2028.97</b>	<b>5016.78</b>	<b>...</b>	<b>5016.78</b>	<b>3035.95</b>	<b>...</b>	<b>3035.95</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **संबद्ध कार्यालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात् वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास के आर्थिक स्क्रन्ध आदि, फॉरवर्ड बाजार आयोग (एफएमसी), प्रतिभूति अपीलिय न्यायाधिकरण (एसएटी) एवं सोलहवें वित्त आयोग के स्थापना व्यय के लिए है।

4. **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) लिमिटेड में अन्तरण और निवेश के लिए है और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए है।
5. **व्यवहार्यता अंतर निधियन:** यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
6. **भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण प्रणाली:** यह प्रावधान रियायती वित्तपोषण, एक्जिम बैंक को पुराने ब्याज अतिदेयों इत्यादि सहित भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण व्यवस्थाओं के लिए ब्याज समकरण सहायता के लिए है।
7. **भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि:** यह प्रावधान भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष (आईआईपीडीएफ) के लिए बजटीय सहायता के लिए है।
8. **आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान के लिए है।
9. **अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।
10. **अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं (तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजकोषीय संबंधों संबंधी आर्थिक सहभागिता और विकास नेटवर्क संगठनों को अंशदान, जीएफटीएम और जीएवीआई को अंशदान के अंतर्गत अंशदान) के लिए है।
11. **एफडीएफ के एमडीआरआई के प्रति अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि (एफडीएफ) के बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।
12. **आईडीए को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान देने के लिए है।
13. **अफ्रीका डिजिटल वित्तीय समावेशन सुविधा में अंशदान (एडीएफआई):** यह प्रावधान अफ्रीका विकास निधि के अफ्रीका डिजिटल वित्तीय समावेशन सुविधा (एडीएफआई) के मद में योगदान के लिए है।
14. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान):** यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।
15. **एशियाई विकास निधि में अंशदान-13:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान करने के लिए है।
16. **एफडीएफ के लिए अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीका विकास निधि (एफडीएफ-16) के मद में योगदान के लिए है।
17. **एसएआरटीटीएसी को अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) के लिए है।
18. **एसईईटीएफ के लिए अंशदान:** यह प्रावधान साउथ-साउथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज ट्रस्ट फंड (एसईईटीएफ) के योगदान के लिए है।
19. **क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) को योगदान:** क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) में भारत के योगदान के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
20. **महामारी रोकथाम, तैयारी और रिस्पांस के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि):** यह प्रावधान विश्व बैंक के महामारी रोकथाम तत्परता और अनुक्रिया (पीपीपीआरएफआईएफ) के लिए वित्तीय मध्यवर्ती निधि में योगदान करने के लिए है।
21. **उधार के लिए नई व्यवस्था:** यह प्रावधान उधार हेतु नई व्यवस्था (एनएवी) में निवेश के लिए नोट खरीद करार (एनपीए) को आगे बढ़ाने के लिए है।
22. **मुद्रा, सिक्का और टकसाल:** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है।
23. **आरक्षित निधि:** यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, साँवरेन स्वर्ण बांड स्कीम , स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में अंतरण के लिए है।
24. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठक (त्रिक् स / सार्क ) और जीआईजेड को सेवाकर के लिए है।
25. **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश:** इसमें अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईवीआरडी), अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान और भारत का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मूल्य अनुरक्षण (एमओवी) दायित्व के लिए निवेश तथा सामान्य पूंजी वर्द्धन (जीसीआई) के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त कोर्पोरेशन निवेश हेतु प्रावधान शामिल है।
26. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान कालातीत मामलों में केंद्रीय प्रतिभूति पर ब्याज भुगतान और सरकारी खातों में जमा दावा न की गई प्रतिभूतियों, संरक्षित बचत स्कीमों के भुगतान, सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान के लिए किया जाता है। नई घोषणाओं के लिए सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है।

27. **केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण:** यह प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण के लिए है।
28. **सरकारी कर्मचारी को ऋण:** यह एक सम्मिश्रित मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन हेतु अपने कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है। जिस प्रयोजन से सब्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटरों आदि की खरीद शामिल है।
29. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए है।
30. **आवासन पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासों की इकाइयों के निर्माण के लिए रखा गया है।
31. **स्वर्ण मुद्राकरण योजना:** यह प्रावधान स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015 के तहत जुटाए गए सोने के मूल्य के लिए है।
32. **इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती:** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. द्वारा एडीबी और केएफडब्ल्यू को ऋण के भुगतान के लिए प्रावधान है।
33. **रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल):** यह प्रावधान कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफडी) को रियायती साझेदार ऋण के भुगतान के लिए रखा गया है।
34. **मध्यम आय समूह के लिए किफायती आवासन:** यह प्रावधान मध्यम आय समूह के लिए किफायती आवास सृजन हेतु विशेष विंडो के लिए है।
35. **एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीयन आधार में पूंजी समावेशन:** यह प्रावधान एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीयन आधार में पूंजी समावेशन हेतु है जिसमें असीम अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एआईएफएल) और एनआईआईएफ अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एनआईआईएफ आईएफएल) शामिल है।
36. **कारपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना:** यह प्रावधान प्रतिभूति कारपोरेट ऋण योजना(जीएससीडी) के लिए है।